

क्रमांक 1018 /599/12/सी.सी./अडतीस

भोपाल, दिनांक 29-6-13

प्रति,

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर म.प्र.

विषय:-नवीन बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए एन.ओ.सी.का आवेदन-विजया एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली ।

संदर्भ:-ट्रस्टी विजया एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली के पत्र क.एचआईएसडी/व्यू-1/12 दिनांक 10.12.2012, एस.एल.पी. सिविल अपील क्रमांक 1859/2006 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध संत ध्यानेश्वर शिक्षण संस्था महाविद्यालय एवं अन्य, एसएलपी डब्ल्यू पी क.276/12 मा.वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय एवं अन्य तथा मान0उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 6113/2008 विक्रमादित्य महाविद्यालय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य एवं मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (xii) एवं धारा 26(1) (v) के अनुसार एवं विभाग की एनओसी पत्र क्रमांक 1931/556/12/सीसी/38 दिनांक 22.12.12।

-0-

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि संस्था को निरीक्षणोपरंत नवीन बी0एड0 पाठ्यक्रम राधोगढ़ जिला गुना में संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पूर्व पत्र क्रमांक 1931/556/12/सीसी/38 दिनांक 22.12.12 द्वारा भी सहमति दी गई थी । उक्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में एन.सी.टी.ई. अधिनियम -1993 एवं उसके तहत बनाये रेग्युलेशन में दिये गये प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुसार संस्था को मापदण्ड अनुसार शर्तों की पूर्ति करनी होगी । यह अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्था को केवल संबद्धता प्राप्त करने के लिए जारी किया जा रहा है । किसी भी गलत जानकारी एवं कमी पूर्ति के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी । इसे अन्य संस्था हेतु पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

(एस.के.शर्मा)

अवर सचिव

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

निरन्तर.....

1 june 2013

पृ0क्रमांक 1019 /599/12/सी.सी./अडतीस

भोपाल, दिनांक 29-6-13

प्रतिलिपि-

- 1- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा की ओर उनके टीप दिनांक 20.12.12 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. मानस भवन परिसर श्यामलाहिल्स, भोपाल की ओर पूर्व में जारी एनओसी पत्र क्रमांक 1931/556/12/सीसी/38 दिनांक 22.12.12 के संदर्भ में ।
- 3- ट्रस्टी विजया एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली के पत्र क.एचआईएसडी/व्यू-1/12 दिनांक 10.12.2012 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि एन.सी.टी.ई. की आवश्यक शर्तों की पूर्ति समयावधि में पूर्ण करेंगे ।

अवर सचिव

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,